

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287] No. 287] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 4, 2018/वैशाख 14, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 4, 2018/VAISAKHA 14, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2018

सं. 3/2018

सा.का.नि. 424(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (धक) के उप-खंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के अधीन रजिस्ट्रीकृत बहुराज्य सहकारी समिति को "अभिहित कारबार या वृत्ति करने वाले व्यष्टि" के रूप में अभिहित करती है।

[फा. सं. पी-12011/1/2013-ई.एस.सेल-डीओआर] बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2018

No. 3/2018

G.S.R. 424(E).—In exercise of powers conferred by sub-clause (vi) of clause (sa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby designate the Multi-State Co-operative Society registered under the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002) as a "person carrying on designated business or profession".

[F. No. P-12011/1/2013- E.S. Cell-DOR] BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

2494 GI/2018